राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम
1	2025 / 2025	चन्द्र शेखर जैन	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कुल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर। 6.सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरसूलिया, ब्लॉक फागी, जिला जयपुर।
2	2026 / 2025	मोहम्मद अजीज	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 6. सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक खाजुवाला, जिला बीकानेर।
3	2027 / 2025	छगना राम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. सहायक निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर। 5. संयुक्त निदेशक, स्कुल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर। 6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, नागौर। 7. सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, नागौर। 8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन। 9. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं, ब्लॉक लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन।
4	2334 / 2025	हरि मोहन मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. सहायक निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर। 6. सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़, ब्लॉक राजगढ़, जिला अलवर।
5	2550 / 2025	राधारमण शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, करौली। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, करौली। 6. सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, करौली। 7. प्रधानाचार्य कम यूसीईईओ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, वजीरपुर गेट के पास, करौली, ब्लॉक करौली, जिला करौली।
6	2628 / 2025	अतिमा श्रीवास्तव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 4. संयुक्त निदेशक, स्कुल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।

			5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 6. सहायक लेखाधिकारी–I, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर। 7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 15–Z, श्रीगंगानगर, ब्लॉक श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

आदेश की दिनांक : 02.06.2025
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी/हरि प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों को इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जा रहा है। अपील संख्या 2025/2025 चन्द्र शेखर जैन की अपील को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी चन्द्र शेखर जैन की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर आदेश दिनांक 28.03.1987 से हुई थी। अपीलार्थी का समायोजन वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर किया गया।

राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 (चतुर्थ बदलाव) 2013 के आधार पर सहायक लेखाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर के क्रमांक 551 दिनांक 07.11.2013 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतन स्थिरीकरण किये जाने एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश कमांक–प. 14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर दिनांक 05.07.2013 के अन्तर्गत 01.07.2013 से परिवर्तित ग्रेड–पे दिये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800/– रुपये दिनांक 01.07.2013 से की गई है। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2014 को पूरी कर ली। अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ पे–ग्रेड 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत एसीपी (Regular Service for grant of benefit under the ACP scheme shall be counted for the date of post in direct entry grade as the regular basis on direct recruitment) स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस मामले में अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक पद पर की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009

के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.98 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.98 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.06 से 30.06.13) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित विभाग के आदेश दिनांक 05.07.13 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय (9,18,27 वर्षीय) चयनित वेतनमान/एसीपी पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। वित विभाग के आदेश दिनांक 05.07.13 के अनुसार अपीलार्थी को 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 01.07.13 से ग्रेड पे 4200 में वेतन देय है। तत्पश्चात् 27 वर्षीय एसीपी पर 4800 ग्रेड पे में वेतन देय है। जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक का संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.07.98 से प्रारम्भिक वेतनमान 4500–7000 निर्धारित किया गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक की पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.01.06 से 30.06.13 तक ग्रेड पे 2800 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। जिसको आदेश दिनांक 05.07.13 से (प्रभावी दिनांक 01.07.13) ग्रेड पे 3600 निर्धारित की गई है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानो के तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक को दिनांक 01.07. 13 से प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी पर क्रमशः ग्रेड पे 4200, 4800, 5400 देय होती है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से

चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। इन समस्त अपीलों में अपीलार्थी अध्यापक तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	अध्यापक तृतीय श्रेणी समायोजन तिथि	धारित शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक योग्यता धारण की दिनांक
1	2025/2025 चन्द्र शेखर जैन	18.10.1997	B.Ed.	05.09.1997
2	2026/2025 मोहम्मद अजीज	23.10.1997	BSTC	08.11.2004
3	2027/2025 छगना राम	17.10.1997	B.Ed.	01.09.2013
4	2334/2025 हरि मोहन मीणा	18.10.1997	BSTC	14.10.2004
5	2550/2025 राधारमण शर्मा	10.10.1997	BSTC	08.11.2004
6	2628/2025 अमिता श्रीवास्तव	25.10.1997	B.Ed.	17.12.1993

अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर विधिवत रूप से समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतदद्वारा स्वीकार की जाती हैं और उक्त तालिका के सभी अपीलार्थीगण के आलोच्य आदेश को अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में अपास्त किया जाता है। यह आदेश भी दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों की अनुपालना में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो वह राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान / ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद के अनुसार चयनित वेतनमान / एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई राशि / वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे।

मूल आदेश अपील संख्या 2025 / 2025 चन्द्र शेखर जैन बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों को पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष